निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 73/2005
दायरा दिनांक :– 22.02.2006
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

उनवान

1. रमेशचंद्र पुत्र प्रभूलाल
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
3. कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल

3/1 रवि शर्मा पुत्र कुंजबिहारी
3/2 रानू शर्मा पुत्र स्व. कुंजबिहारी
3/3 रमा शर्मा पुत्री स्व. कुंजबिहारी
3/4 कलावती बेवा स्व. कुंजबिहारी जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

4. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
5. सनोज पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
6. शांति बाई बेवा स्व. गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल
2. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण
3. शांति बाई पुत्री हरनारायण
4. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया तह. बारां
5. भूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश
6. प्रेम बाई पत्नी सूरज्या
7. महावीर प्रसाद चांदना
8. जयलाल सिंह – मृतक

8/1 गीता बाई पत्नी जयलाल सिह जातिगण खेडली भेडोलिया तह. बारां

9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,1[illegible] आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30.9.21

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री रमेशचंद गोयल एडवोकेट – वादी
2 श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट – प्रतिवादी

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां में जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 के अनुसार हरनारायण पुत्र नाथ्या उर्फ नाथूसिंह 1/2 छीतरलाल बेटा मोहन सिंह 1/2 जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया के खाते में 202 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी। खातेदार छीतरलाल के स्वर्गवास होने पर इंतकाल नं. 754 तस्दीक दिनांक 15.06.1958 खुला तथा छीतरलाल के स्थान पर प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल का नाम दर्ज किया गया। ग्राम समसपुर तहसील बारां में भी जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014 के अनुसार छीतरलाल बेटा मोहन सिंह व हरनारायण बेटा नाथ्या जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया ने खाते में 15 किता 70 बीघा 6 बिस्वा भूमि थी। खातेदार छीतरलाल के स्वर्गवास के बाद छीतरलाल के स्थान पर प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल का नाम दर्ज जर्ये इंतकाल नं. 63 तस्दीक दिनांक 22.06.1957 से दर्ज किया गया। प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल जिनका ग्राम खेडली भेडोलियान व ग्राम समसपुर की भूमि में श्री छीतरलाल के स्वर्गवास के बाद दर्ज हुआ जो वादीगण के पूर्व थें। ग्राम खेडली भेडोलियान में जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 व जमाबंदी सम्वत 2014 से 2018 से हरनारायण 1/2 प्रभूलाल 1/2` खाते में जो भूमि दर्ज की। खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2015 से 2024 के ग्राम खेउली भेडोलियान की उक्त आराजी रकबा 202 बीघा 12 बिस्वा हरनाररायण वल्द नाथू 1/2 व छीतरलाल वल्द मोहन सिंह के नाम पुनः दर्ज हो गयी। सेटलमेंट विभागों में श्री छीतरलाल की मृत्यु के बाद खुले इंतकाल नं. 754 तस्दीकी दिनांक 15.06.1958 जिसमें श्री छीतरलाल के स्थान पर उनके पुत्र प्रभूलाल जी का नाम दर्ज हुआ था का अंकन नही किया जबकि जमाबंदी वम्वत 2010 से 2013 व जमाबंदी सम्वत 2014–2018 में छीतरलाल के स्थान पर प्रभूलाल का नाम दर्ज हो गया था।

सेटलमेंट की उक्त भूल का लाभ उठाने के उद्देश्य से हरनारायण ने नाथूसिंह जो सह खातेदार थे व उनके पुत्र ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण ने ग्राम खेडली भेडोलियान की उक्त भूमि 202 बीघा 12 बिस्वा में प्रभूलाल का जो 1/2 हिस्सा था को हडपने व प्रभूलाल जी जो जानबुझकर नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रभूलाल की बिना जानकारी के राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत लिसाडिया के अधिकारियों को धोखा देकर ओमप्रकाश जो श्री हरनारायण के पुत्र है को श्री छीतरलाल का दत्तक पुत्र होना बतलाकर इंतकाल नं. 18 खुलवाया तथा ग्राम पंचायत लिसाडिया से दिनांक 03.03.1966 को तस्दीक करा लिया। यह इंतकाल श्री प्रभूलाल जी व उनके वारिसान जो वादीगण है के विरूद्ध व्यर्थ व शुन्य है तथा निरस्त होने योग्य है। क्योकि जिस समय इंतकाल खोला व तस्दीक किया गया खातेदार छीतरलाल का पुत्र प्रभूलाल जी जीवित थें। प्रभूलाल के हक में ग्रा खेडली भेडोलियान व ग्राम समसपुर की भूमियों के इंतकाल खुल चुके थें व जमाबंदीयों में उनका अंकन हो चुका था। जिसकी पूर्ण जानकारी श्री बाबू हरनारायण जी व ओमप्रकाश को थी। श्री ओमप्रकाश यह भी जानते थे ि कवह छीतरलाल का दत्तक पुत्र नही है। छीतरलाल ने ओमप्रकाश को कभी गोद नही लिया। गोद की रस्म नही हुयी। छीतरलाल का स[illegible] पुत्र प्रभूलाल जिवित है। प्रभूलाल जी का सवर्गवास 1981 में हुआ है। सह [illegible] के स्वर्गवास के बाद स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

ओमप्रकाश ने अपने आपको बाबू हरनारायण का पुत्र बतलाकर श्री हरनारायण के अनय वारिसान के साथ अपना नाम भी वारिस के रूप में अंकित कराया। ग्राम खेउली भेडोलिया की भूमि का बाबू हरनारायण जी की फोतगी इंतकाल नं. 187 तस्दीकी दिनांक 11.10.2001 खोला गया जिसमें हरनारायण जी के स्थान पर ओमप्रकाश नवनीतलाल पुत्रगण व शांती बाई, अनोख बाई पुत्रियां दर्ज किया गया है। जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 में हो चुका है। इसी तरह ग्राम समसपुर की भूमि का भी बाबू हरनारायण की मृत्यु पर फोतमी इंतकाल ओमप्रकाश ने बाबू हरनारायण के सीन पर ओमप्रकाश नवनीतलाल पुत्रगण व शांती बाई अनोख बाई पुत्रियों के हक में खुलवाया यह इंतकाल नं. 273 दिनांक 10.10.2001 है तथा इसका जमाबंदी में भी अंकन हो चुका है। इस तरह ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण ब्रम्हण खेडली भेडोलियान द्वारा अपने आपको छीतरलाल का दत्तक पुत्र बतलाकर खुलवाया इंतकाल नं. 18 तस्दीकी दिनांक 03.03.1966 प्रभूलाल व वादीगण विरूद्ध है तथा अवैधानिक है जो निरस्त होने योग्य है।

बाबू हरनारायण व ओमप्रकाश ने ग्राम खेडली भेडोलियान की उक्त 202 बीघा 12 बिस्वा का इंतकाल नं. 18 तस्दीकी दिनांक 03.03.1966 खुलवाकर तथा प्रभूलाल का नाम जिनका खाते में 1/2 हिस्सा था हटवा दिया तथा भूमि जमाबंदी सम्वत 2018-2021 में हरनारायण पुत्र नाथूसिंह 1/2 ओमप्रकाश उर्फ सत्तूलाल मुतबन्ना छीतरलाल कोम ब्राम्हण सां. देह इंतकाल नं. 18 से दर्ज हो जाने का लाभ उठाकर प्रभूलाल व उसके वारिसान की जानकारी के बना निम्न इंतकाल और खुलवाए जो भी प्रभूलाल व वादीगण के विरूद्व व्यर्थ व शुन्य है। अवैधानिक है तथा निरस्त होने योग्य है। इंतकाल नं. 27 तस्दीकी दिनाक 31.03.1969 जिसमें ग्राम खेउली भेडोलियान की उक्त 202 बीघा 12 बिस्वा भूमि का निम्न प्रकार बंटवारा किया। बंटवारे के दावे में प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल को पक्षकार नही बनाया। ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण जिसे दत्तक पुत्र छीतरलाल बताया के हिस्से में ख.नं. 378 रकबा 26 बीघा व ख.नं. 304 रकबा 73 बीघा ख.नं. 216 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 101 बीघा 9 बिस्वा। बाबूलाल उर्फ हरनारायण के हिस्से में निम्न भूमि रही। ख.न. 378 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. 384 रकबा 73 बीघा ख.नं. 156 रकबा 8 बिस्वा ख.नं. 200 रकबा 7 बिस्वा ख.नं. 213 रकबा 3 बिस्वा कुल 100 बीघा 15 बिस्वा। इंतकाल नं. 67 तस्दीकी दिनांक 28.02.1971 जिसमें ग्राम खेडली भेडोलियान की भूमि ख.नं. 384 रकबा 38 बीघा ओमप्रकाश के स्थान पर केसर बाई पुत्री नाथूलाल ब्राम्हण खेडली भेडोलियान के नाम दर्ज करा ली। इस बाबत किए दावे में भी प्रभूलाल जी को पक्षकार नही बनाया। इंतकाल नं. 129 तस्दीकी दिनांक 01.10.1997 जिससे उपर अंकित केसर बाई के खातेद में दर्ज हुई भूमि तथा कथित फर्जी वसीयत केसर का बतलाकर वापस भूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राम्हण खेडली भेडोलिया के खाते भूमि दर्ज कराई। इंतकाल नं. 68 तस्दीकी दिनांक 28.01.1971 से बाबूलाल उर्फ हरनारायण ने आराजी ख.नं. 378 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. मि. 348 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा कुल 62 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपने पुत्र नवनीतलाल पु. हरनाररायण के खाते दर्ज कराई। इस बाबत न्यायालय में किए दावे में प्रभूलाल या उनके वारिसान को पक्षकार नही बनाया। इंतकाल नं. 187 तस्दीकी दिनांक 11.10.2001 जिसमें ग्राम खेडली भेडोलियान भूमि व कत्ता रकबा 7.08 को बाबूलाल उं हरनाररायण के मरने पर ओमप्रकाश नवनीत पुत्र व शांती बाई अनोख बाई पुत्रियों का नाम दर्ज किया गया। इंतकाल नं. 69 तस्दीकी दिनांक 29.11.1991 बाबू हरनारायण की भूमि ख.नं. 87 रकबा 3.15 है. सिलिंग में अधिग्रहण की गई। इंतकाल नं. 81 तस्दीकी दिनांक 08.08.1992

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

से सिलिंग में अधिग्रहण भूमि– प्रेम बाई पत्नी सूरजमल मेघवंशी लिसाडिया के ख.नं. 87/467 रकबा 0.80 है। महावीर प्रसाद चांदना पुत्र नंदलाल गुजर बारां के ख.नं. 87/467 रकबा 0.80 है। जयलाल सिंह पुत्र नाथूसिंह के ख.नं. 87/467 रकबा 1.55 है. दर्ज की गई है। जयलालसिंह का सवर्गवास हो गया है उसकी वारिस व उत्तराधिकारी गीता बाई बेवा जयलाल सिंह राजपूत निवासी तेलफैक्ट्री बारां है। उक्त अवैधानिक इंतकाल खुलने व अवैधानिक हस्तांतरण होने से ग्राम खेडली भेडोलियान की जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 व जमाबंदी सम्वत 2014 से 2018 के अनुसार उपर अंकित जो 202 बीघा भूमि बाबू हरनारायण पुत्र नाथूसिंह 1/2 प्रभूलाल पुत्र श्री छीतरलाल 1/2 के खाते दर्ज थी वह भूमि वर्तमान में निम्न प्रकार दर्ज हो गई है। ओमप्रकाश उर्फ सत्तूलालपुत्र बाबू हरनारायण पुत्र के खाते में ख.नं. 83 रकबा 4.39 है. ख.नं. 86 रकबा 5.67 है. ख.नं. 218 रकबा 0.22 है. ख.नं. 244 रकबा 0.18 है. कुल 10.46 है। भूपेन्द कुमार पुत्र ओमप्रकाश के खाते ख.नं. 86/466 रकबा 5.19 है। ओमप्रकाश नवनीतलाल, शांती बाई अनोख बाई पिसरान बाबूहरनारायण के खाते में ख.नं. 87/467 रकबा 0.72 है. ख.नं. 89 रकबा 3.00 है. ख.नं. 142 रकबा 0.13 है. कुल 3.85 है। इस खाते में जो अन्य भूमि दर्ज है वह विवादित नही है। नवनीत पुत्र हरनारायण के खाते में ख.नं. 82 रकबा 4.25 है. ख.नं. 87 रकबा 5.90 है. कुल 10.15 है.। सिलिंग में गई भूमि ख.नं. 87/467 रकबा 3.15 है.। इस प्रकार उक्त भूमि ओमप्रकाश के खाते में 10.46 है. भूपेन्द्र के खाते में 5.19 है. ओमप्रकाश नवनीत वगैरा के खाते में 3.85 है. बकेले नवनीत के खाते में 10.15 है. तथा सिलिंग में गई भूमि 3.15 है. कुल 32.80 है. इस भूमि में श्री प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल ब्राम्हण खेडली भेडोलियान का 1/2 हिस्सा होने से वादीगण का भी 1/2 हिस्सा है। अर्थात 16.40 है. भूमि वादीगण के हिस्से की है तथा शेष 16.40 है. भूमि बाबू हरनारायण के वारिसान के हिस्से की है। सिलिंग में भूमि बाबू हरनारायण जी की गई इसलिए वह भूमि उन्ही के वारिसान के हिस्से में कम होगी।

ग्राम समसपुर तह. बारां में जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 के अनुसार निम्न भूमि अवस्थित है। ख.नं. 1012/391–392–393 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 1013/391 रकबा 1 बीघा 4 बि0 ख.नं. 1018/392 रकबा 1 बीघा 4 बि0 ख.नं. 1014/394 1 बीघा 2 बि0 ख.नं. 1015/394 रकबा रकबा /18 बिस्वा ख.नं. 374/395 रकबा 2 बिस्वा ख.नं. 397 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 402 रकबा 2 बीघा 13 बि. ख.नं. 403 रकबा 2 बीघा 6 बि. ख.नं. 404 रकबा 2 बीघा 11 बि. ख.नं. 633/405 रकबा 5 बीघा 7 बि. ख.नं. 406 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ख.नं. 408 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 437 रकबा 24 बीघा 18 बि. ख.नं. 468 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल 70 बीघा 6 बिस्वा है। यह भूमि छीतरलाल बेटा मोहनसिंह रिनारायण बेटा नाथ्या ब्राम्हण नि. खेडली भेडोलियान के खाते दर्ज है इस जमाबंदी में लगे नोट के अनुसार इंतकाल नं. 63 से यह भूमि प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल व हरनारायण पुत्र नाथ्या के खाते दर्ज हो गई है। ग्राम समसपुर के सेटलमेंट सम्वत 2015 से 2024 से उक्त भूमि के नए ख.नं. व रकबा निम्न बना है तथा प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल 1/2 हरनारायण पुत्र नाथूसिंह के खाते दर्ज रही है। ख.नं. 278 रकबा 4 बीघा 7 बि. ख.नं. 279 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ख.नं. 280 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ख.नं. 281 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ख.नं. 283 रकबा 2 बीघा 11 बि. ख.नं. 309 रकबा 2 बीघा 11 बि. ख.नं. 311 रकबा 2 बीघा ख.नं. 314 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ख.नं. 318 रकबा 3 बीघा 2 बि. ख.नं. 470 र[illegible] बीघा ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा ख.नं. 309/576 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 68 [illegible] 13 बिस्वा। सेटलमेंट 2035 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

2057 में उक्त भूमि ग्राम समसपुर के नए ख.नं. व रकबा निम्न बने है– ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.1 है. ख.नं. 380 रकबा 0.38 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. कुल 10.10 है.। जमाबंदी ग्राम समसपुर तह. बारां सम्वत 2031 से 2034 के अनुसार इंतकाल नं. 140 आदेश दिनांक 31.07.1975 से ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा रामनारायण पुत्र गोरधन के खाते दर्ज हुआ प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल खातेदार के स्वर्गवास के बाद प्रीूलाल के स्थान पर बेवा कंचन व पुत्रगण गोपीबल्लभ रमेशचंद कुंजबिहारी रामचन्द्र का नाम दर्ज हुआ इंतकाल नं. 297 दिनांक 16.06.1981 इस बाबत खुलकर तसदीक हुआ व गोपीबल्लम के स्वर्गवास के बाद इंतकाल नं. 329 तस्दीकी दिनांक 03.03.2004 खोला गया जिसके अनुसार गोपीबल्लभ के स्थान पर अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण शांती बाई बेवा का नाम दर्ज किया गया। खातेदार हरनारायण के स्वर्गवास होने पर ग्राम समसपुर की 8 किता 10.10 है. भूमि का इंतकाल नं. 273 तस्दीकी दिनांक 11.10.2001 को खोला गया जिसके अनुसार बाबू हरनारायण के स्थान पर ओमप्रकाश नवनीतलाल पुत्रगण व शांती बाई अनोख बाई खातेदार है।

इस प्रकार ग्राम समसपुर की अराजी ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370 रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 है. ख.नं. 382 रकबा 0.35 ख.नं. 387 रकबा 0.38 ख.नं. 389 रकबा 0.69 है. ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. कुल 10.10 है. भूमि अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण गोपीबल्लभ रमेशचंद, रामचन्द्र, कुंजबिहारी पिसरान प्रभूलाल 1/2 ओमप्रकाश नवनीतलाल पुत्र हरनारायण शांती बाई अनोख बाई पुत्रियां हरनारायण 1/2 के खाते दर्ज है। उक्त प्रकार ग्राम खेडली भेडोलियान की अराजी पुराना रकबा 202 बीघा 12 बिस्वा नया रकबा 32.80 है. व ग्राम समसपुर की अराजी पुराना रकबा 70 बीघा 6 बिस्वा जिसका नया रकबा 10.10 है. है। दोनों ग्रामों की कुल भूमि 32.80+10.10=42.90 है. में श्री छीतरलाल के वारिसान वादीगण का 1/2 जो 21.45 है. तथा हरनारायण के वारिसान प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा बनता है जो 21.45 है. बनता है। हरनारायण जी के वारिसान के हिस्से में सिलिंग में गई भूमि 3.25 है. भी शामिल है। वादीगण यह घोषणा कराने के अधिकारी है कि ग्राम खेडली भेडोलियान की अराजी 32.80 है. भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा इस भूमि के बाबत खोले गए इंतकाल नं. 18 तस्दीकी दिनांक 03.03.1966 इंतकाल नं. 27 तस्दीकी दिनांक 31.03.1969 इंतकाल नं.0 67 तस्दीकी दिनांक 28.02.1971 इंतकाल नं. 129 तस्दीकी दिनांक 01.10.1997 इंतकाल नं. 68 तस्दीकी दिनांक 28.01.1971 इंतकाल नं. 187 तस्दीकी दिनांक 11.10.2001 इंतकाल नं. 69 तस्दीकी दिनांक 29.11.1991 इंतकाल नं. 81 तस्दीकी दिनांक 08.08.1992 वादीगण के विरूद्व व्यर्थ व शून्य होने से अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। प्रभूलाल पुत्र छीतरलाल व हरनारायण में हुए आपसी पारिवारिक समझौते के तहत ग्राम समसपुर की सम्पूर्ण 70 बीघा 12 बिस्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 367/0.35 ख.नं. 369/0.81 ख.नं. 370/1.1 ख.नं. 380/3.38 ख.नं. 382/0.35 ख.नं. 387/0.38 ख.नं. 389/0.64 ख.नं. 589/6.12 कुल 10.10 है. की तथा ग्राम खेडली भेडोलियान की 202 बीघा 6 बिस्वा में से 65 बीघा 17 बिस्वा भूमि जिसका वर्तमान खसरा नं. [illegible] 18 रकबा 0.22 ख.नं. 224 रकबा 0.18 व ख.नं. 83 रकबा 4.39 व ख.नं. 86 रकबा 5.[illegible] कुल 10.44 है है प्रभूलाल मृतक के वारिसान जो वादीगण है के कब्जे काश्त में है। वादीगण [illegible] ग्राम खेडली भेडोलियान व ग्राम समसपुर की उपर पेरा में अंकित भूमि का विभाजन कराकर दोनो ग्रामो को 1/2 व 1/2 भूमि पृथक पृथक अपने खाते दर्ज कराने व पृथक कब्जा पाने के हकदार है। वाद कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीओमप्रकाश व उसके पिता द्वारा छीतरलाल का ओमप्रकाश को दत्तक पुत्र बताकर प्रभूलाल के खाते की भूमि को ओमप्रकाश के खाते ग्राम खेडली भेडोलियान को दर्ज कराने तथा उसके बाद वाद पत्र में उंकित हस्तांतरण करने तथा भविष्य में भी हस्तांतरण करने व रहन बेचान करने व वादीगण के कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर अंतिम बार दिनांक को उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 5 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश हुआ तथा प्रतिवादी कम 8 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश केया। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल खाता ग्राम खेडली भेडोलिया नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2030–33 नकल जमाबंदी सम्वत 2030–33 खाता सं. 71 नकल जामबंदी सम्वत 2022–25 नकल जमाबंदी सम्वत 2026–29 खाता सं. 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2026–29 खाता सं. 71 नकल जमाबंदी सम्वत 2034–37 खाता सं. 80 नकल जमाबंदी सम्वत 2050–53 खाता सं. 10 नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2058–61 खाता सं. 57 नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2058–61 खाता सं. 8 नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता सं. 76 नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता सं. 47 नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2015–24 नकल मिलान खैत्रफल सम्वत 2015–24 नकल जमाबंदीह ग्राम समसपुर सम्वत 2059–62 खाता सं. 44 जन्म प्रमाण पत्र ओमप्रकाश मिलान ख्क्षैत्रफल सम्वत 2038–57 पेश की गई। नकल नामांतकरण सं. 63,290, 273,329 समसपुर पेश किए नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम समसपुर 2015–24 नकल ख्तोनी बन्दोबस्त ग्राम समसपुर सम्वत 2015–24 सत्वत 2031–34 नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2010–13 नकल नामांतकरण नं. 754 खेडली भेडोलिया नकल ख्तोनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 सम्वत 2018–21 नकल नामांतकरण सं. 18 ग्राम खेडली भेडोलिया नकल नामांतकरण सं. 27 नकल नामांतकरण सं. 67,68,129,187,64 का वाद उनवान गोपीबल्लभ हरनारायण पेश किया। साक्ष्यवादी में रमेशचंद के बयान कराए गए।

प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल फर्द अहकाम हरनारायण बनाम छीतरलाल दिनांक 11.01.1941 से 17.09.1941 तक नकल खर्चा मुकदमा नकल निर्णय दिनांक 16.07.1944 पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 ओमप्रकाश के बयान कराए गए।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जर्ये अभिभाषक राजीनामा पेश किया गया कि ग्राम समसपुर तहसील बारां में जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता सं. नया 10 पुराना 13 से भूमि ख.नं. 589 रकबा 6.12 है. अवस्थित है। वर्तमान में यह भूमि अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 अशोक कुमार पुत्र श्री गोपीबल्लभ हिस्सा 1/24 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 कुंज बिहारी पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 सनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ हिस्सा 1/24 रमेश पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 शांति बाई पत्नी गोपीबल्लभ हिस्सा 1/24 शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 दर्ज है। उक्त भूमि के खाते से अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 का नाम हटाया जावेगा तथा इनके स्थान पर यह भूमि अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण गोपीबल्लभ व शांति बाई पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

गोपीबल्लभ का हिस्सा 1/4 तथा रवि शर्मा रानू शर्मा पुत्रगण कुंजबिहारी रमा शर्मा पुत्री कुंजबिहारी कलावती बेवा कुंज बिहारी हिस्सा 1/4 जातिगण ब्राम्हण निवासीगण खेडली भेडोलियान हिस्से में रहेगी। जिसका खातेदार घोषित किया जावेगा।

समसपुर तहसील बारां की भूमि जमाबंदी सम्वत 2071–74 खाता संख्या नया 24 पुराना 26 में ख.नं. 367 रकबा 0.35 है. ख.नं. 369 रकबा 0.81 है. ख.नं. 370रकबा 1.10 है. ख.नं. 380 रकबा 0.35 ख.नं. 382 रकबा 0.35 है. ख.नं. 387 रकबा 0.38 है. ख.नं. 389 रकबा 0.64 है. कुल 3.98 है. जिसके वर्तमान खातेदार अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 कांति बाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री बाई पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा बाई पत्नी रामकिशन हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 व शांति बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 का नाम वर्तमान में दर्ज है। उक्त खाते में से अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/8 ओमप्रकाश पुत्र हरनाराायण हिस्सा 1/8 नवनीतलाल पुत्र हरनारायण हिस्सा 1/8 व शांति बाई पुत्री हरनाररायण हिस्सा 1/8 का नाम खाते से हटाया जावेगा तथा दनके स्थान पर यह भूमि अशोक कुमार सनोज कुमार पुत्रगण गोपीबल्लभ व शांति बाई पत्नी स्वत्र गोपीबल्लभ का हिस्सा 1/8 रमेश पुत्र प्रभूलाल का हिस्सा 1/8 रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/8 तथा रवि शर्मा रानू शर्मा पुत्रगण कुंजबिहारी रमा शर्मा पुत्री कुंजबिहारी कलावती बेवा कुंजबिहारी हिस्सा 1/8 दर्ज किया जावेगा तथा खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावेगा एवं कांतिबाई पत्नी बुद्विप्रकाश हिस्सा 1/8 गायत्री पत्नी चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/8 जसोदा पत्नी रामकिशन हिस्सा 1/8 पूर्ववत रहेगा।

ग्राम खेडली भेडोलिया तहसील बारां की भूमि जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता सं. नया 72 पुराना 6 के अनुसार ख.नं. 82 रकबा 4.25 है. ख.नं. 87 रकबा 5.91 है. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण प्रतिवादी कम 2 के खाते दर्ज है। इसी तरह ग्राम खेडली भेडोलिया तहसील बारां की भूमि ख.नं. 142 रकबा 0.13 है. ख.नं. 144 रकबा 0.18 है. ख.नं. 145 रकबा 0.26 है ख.नं. 147 रकबा 0.06 है. ख.नं. 162 रकबा 0.30 है. ख.नं. 43 रकबा 2.03 है. एवं ख.नं. 498/467 रकबा 0.72 है. ख.नं. 50 रकबा 0.40 है. ख.नं. 89 रकबा 3.00 है. कुल 7.08 है. भूमि अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/4 ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 नवनीतलाल पुत्र बाबूलाल हरनारायण हिस्सा 1/4 शांति बाई पुत्री बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 दर्ज है। इसी तरह ग्राम खेडली भेडोलिया तहसील बारां की भूमि जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार भूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राम्हण के खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम खेडली भेडोलिया तहसील बारां की भूमि ख.नं. 218 रकबा 0.22 है. ख.नं. 224 रकबा 0.18 है. ख.नं. 83 रकबा 4.39 है. ख.नं. 86 रकबा 5.67 है. कुल 10.46 है. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र छीतरलाल के नाम से खाते में दर्ज है। यह सभी भूमियां मुताबिक खाता प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के खाते व हिस्से में पूर्ववत रहेगी। इसी प्रकार ग्राम समसपुर तहसील बारां की उक्त अंकित समस्त भूमि आपसी समझौते से वादीगण कम 1 ता 6 के हक व हिस्से में रही है। इसलिए इस भूमि में प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही रहा है।इसलिए खाते से प्रतिवादी कम 1 ता 5 का नाम हटाया जावेगा और वादीगण के उक्त अंकित हिस्से के अनुसार वादीगण कम 1 ता 6 के हिस्से खाते में दर्ज होंगे। जिस पर वादीगण बतौर खातेदार टीनेन्ट काबिज रहेंगे। इसी तरह खेडली भेडोलियान की उपर अंकित भूमि प्रतिवादी कम 1 ता 5 के हक हिस्से में रहेगी, इसमें वादीगण कम 1 ता 6 का कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

व हिस्सा नही रहा है। प्रतिवादीगण ग्राम समसपुर तहसील बारां की भूमि में वादीगण को काश्त करने में किसी तरह की आधा व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे उसे रहन या विक्रय नही करेंगे इसी तरह वादीगण भी खेडली भेडोलियान की भूमि को प्रतिवादी कम 1 ता 5 द्वारा काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे ना ही रहन अथवा बेचान करेंगे। पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा धारा 212 आरटीएक्ट में प्रार्थना पत्र खारिज किया था, जिसकी अपील आरएए कोटा में हुई थी वहां से स्थगन का नोट लगा हुआ है वह नोट भी हटेगा।

अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वाद पत्र तथा पत्रावली एंव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2030–33 के अनुसार जवनीतलाल पुत्र हरनारायण के खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी सम्वत 2030–33 खाता सं. 71 में बाबूलाल उर्फ हरनारायण वल्द नाथू सिंह दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2022–25 में हरनारायण पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 1/2 ओमप्रकाश उर्फ सत्तूलाल मृतक छीतरलाल हिस्सा 1/2 दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी सम्वत 2026–29 खाता सं. 2 में ओमप्रकाश मृतक छीतरलाल दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2026–29 में बाबूलाल उर्फ हरनारायण पुत्र नाथूसिंह दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2034–37 में बाबूलाल उर्फ हरनारायण पुत्र नाथूसिंह दर्ज है। कुल ख.नं. 9 किता रकबा 57.11 बीघा खातेदारी में दर्ज है। नकल जामबंदी सम्वत 2050–53 खाता संख्या 10 में केशर बाई पुत्री नाथूसिंह के खाते दर्ज है। नकल जामबंदी सम्वत 2058–61 में नवनीत लाल पुत्र हरनारायण का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2058–61 खाता सं. 8 में ओमप्रकाश मुतबन्ना छीतरलाल का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 में भूपेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता सं. 79 में बाबूलाल उर्फ हरनारायण पुत्र नाथूसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता सं. 889 के अनुसार महावीर प्रसाद चांदना पुत्र नंदलाल जाति गुजर का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम खेडली भेडोलिया सम्वत 2058–61 खाता सं. 76 में प्रेम बाई पत्नी सूरजमल मेघंवशी के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता सं. 47 में जयलाल सिंह पुत्र नाथूसिंह राजपूत के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम समसपुर सम्वत 2059–62 में गोपीबल्लभ रमेश रामचन्द्र कुंज बिहारी पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/2 ओमप्रकाश नवनीतलाल पुत्र हरनारायण शांति बाई अनोख बाई पुत्रीयां हरनारायण हिस्सा 1/2 दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दोनो गांव की भूमियां शामलाती खातेदारी थी। वादीगण एवं प्रतिवादीग कम 1 ता 5 मृतक मोहनसिंह के वंशज ही वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी ग्राम समसपुर व खेडली भेडोलिया का आपसी सहमति से राजीनामा होगया है। मृताबिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां के ख.नं. 82 रकबा 4.25 है. ख.नं. 87 रकबा 5.90 है. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण प्रतिवादी कम 2 के खाते में रहेगी। ख.नं. 142 रकबा 0.13 है. ख.नं. 144 रकबा 0.18 है. ख.नं. 145 रकबा 0.26 है. ख.नं. 147

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.22 14:32:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रकबा 0.06 है. ख.नं. 162 रकबा 0.30 है. ख.नं. 43 रकबा 2.03 है. एवं ख.नं. 498/467 रकबा 0.72 है. ख.नं. 50 रकबा 0.40 है. ख.नं. 89 रकबा 3.00 है. कुल रकबा 7.08 है. भूमि अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/4 ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 नवनीतलाल पुत्र बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 शांति बाई पुत्री बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 खाते में रहेगी। जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार ळभूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के खाते में रहेगी, ख.नं. 218 रकबा 0.22 है. ख.नं. 224 रकबा 0.18 है. ख.नं. 83 रकबा 4.39 है. ख.नं. 86 रकबा 5.67 है. कुल रकबा 10.46 है. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र छीतरलाल के खाते में रहेगी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक दूसरें के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगे। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 73/2005	धारा अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री रमेश चन्द गोयल	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री बाबूलाल जैन	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रमेशचंद्र पुत्र प्रभूलाल
2. रामचन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां
3. कुंजबिहारी पुत्र प्रभूलाल

3/1 रवि शर्मा पुत्र कुंजबिहारी
3/2 रानू शर्मा पुत्र स्व. कुंजबिहारी
3/3 रमा शर्मा पुत्री स्व. कुंजबिहारी
3/4 कलावती बेवा स्व. कुंजबिहारी जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

4. अशोक कुमार पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
5. सनोज पुत्र स्व. गोपीबल्लभ
6. शांति बाई बेवा स्व. गोपीबल्लभ जाति ब्राम्हण नि. ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण मुतबन्ना छीतरलाल
2. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण
3. शांति बाई पुत्री हरनारायण
4. अनोख बाई पुत्री हरनारायण जाति ब्राम्हण निवासी खेडली भेडोलिया तह. बारां
5. भूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश
6. प्रेम बाई पत्नी सूरज्या
7. महावीर प्रसाद चांदना
8. जयलाल सिंह – मृतक

8/1 गीता बाई पत्नी जयलाल सिह जातिगण खेडली भेडोलिया तह. बारां

9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली भेडोलिया तह. बारां के ख.नं. 82 रकबा 4.25 है. ख.नं. 87 रकबा 5.90 है. नवनीतलाल पुत्र हरनारायण प्रतिवादी कम 2 के खाते में रहेगी। ख.नं. 142 रकबा 0.13 है. ख.नं. 144 रकबा 0.18 है. ख.नं. 145 रकबा 0.26 है. ख.नं. 147 रकबा 0.06 है. ख.नं. 162 रकबा 0.30 है. ख.नं. 43 रकबा 2.03 है. एवं ख.नं. 498/467 रकबा 0.72 है. ख.नं. 50 रकबा 0.40 है. ख.नं. 89 रकबा 3.00 है. कुल रकबा 7.08 है. भूमि अनोख बाई पुत्री हरनारायण हिस्सा 1/4 ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 नवनीतलाल पुत्र बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 शांति बाई पुत्री बाबूलाल उर्फ हरनारायण हिस्सा 1/4 खाते में रहेगी। जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार ळभूपेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश के खाते में रहेगी, ख.नं. 218 रकबा 0.22 है. ख.नं. 224 रकबा 0.18 है. ख.नं. 83 रकबा 4.39 है. ख.नं. 86 रकबा 5.67 है. कुल रकबा 10.46 है. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र छीतरलाल के खाते में रहेगी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक दूसरें के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... [illegible] .... [illegible] जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. .... [illegible] या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.22 14:52:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner